पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 08 वांछित अभियुक्त व NBW में 11 वारण्टी गिरफ्तार।

दिनांक- 07.10.2024

दिनांक- 06/07.10.2024 को-

01-थाना अलीगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0 268/24 धारा 305/317(2) BNS से सम्बन्धित अभियुक्त नीरज

02- थाना इटौंजा में पंजीकृत मु0अ0सं0 157/2024 धारा 303(2)/317(2) BNS से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों 01- विकास गुप्ता 02- अंकुल साहू

03-थाना कृष्णानगर में पंजीकृत मु0अ0सं0 399/2024 धारा 406/420/467/468/471/504/506/120बी भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त प्रभाकर मिश्रा

04-थाना मदेयगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0 107/2024 धारा 85/115(2)/352/351(3)/80 BNS व ¾ डीपी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त जान अहमद खान उर्फ मुख्तार खान

05-थाना सुशान्त गोल्फ सिटी में पंजीकृत मु0अ0सं0 529/2024 धारा 376(2)(N)/504/506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त रोमी कुमार

06- थाना सुशान्त गोल्फ सिटी में पंजीकृत मु0अ0सं0 352/2024 धारा 80/85 BNS व ¾ डीपी एक्ट से सम्बन्धित 02 अभियुक्ता 01-सुनीता 02- खूशबू गिरफ्तार।

एवं

NBW में थाना काकोरी से 01, चौक से 01, रहीमाबाद से 01, इटौंजा से 01, गुडम्बा से 01, मडियाँव से 04, निगोहाँ से 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

जोन-उत्तरी

मारपीट-थाना मडियांव-

दिनांक 06/07.10.2024 को समय करीब रात्रि 12.31 बजे श्री रवि निवासी ग्राम देवरी रुखारा पोस्ट अर्जुनपुर बीकेटी, लखनऊ ने थाना मडियावं पर लिखित सूचना दिया कि दिनांक 06.10.2024 को समय करीब रात्रि 09.00 बजे वादी के भाई मोहित को अमित सिंह ने आई0आई0एम0 चौराहे पर पैसे के लेन देन के लिए बुलाया था, उसी बात को लेकर अमित सिंह, सौरभ सिंह व आशीष कुमार ने वादी के भाई के साथ मार पीट की, जिसमें वादी के भाई के काफी चोटें आयी है। तथ्य अंकित है, **वादी द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना मडियावं पर एन0सी0आर0-176/2024 धारा 115(2) बीएनएस पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना गुडम्बा-

दिनांक 06.10.2024 को समय करीब शाम 06.39 बजे श्री दिग्विजय नारायणघर दूबे निवासी मोहल्ला आदिल नगर गुडम्बा, लखनऊ (किराये के मकान) ने थाना गुडम्बा पर लिखित सूचना दिया कि दिनांक 01.10.2024 को वादी अपने भाई मनमोहन मुरलीधर दूबे की मोटर साईकिल हीरो स्पेलेन्डर प्लस जिसका नं0 UP42W9531 को लेकर समय करीब रात्रि 08.30 बजे हनुमान मंदिर, गायत्री मन्दिर के सामने कुर्सी पर दर्शन करने गया था व मोटर साईकिल को शनि मंदिर के पीछे सड़क के किनारे खड़ा कर दिया था। पूजा पाठ तथा भजन के बाद जब वादी गाड़ी खड़ी किये स्थान पर पहुँचा तो देखा कि गाड़ी वहाँ नहीं है काफी खोजबीन और जानकारी किया, परन्तु गाड़ी की कोई जानकारी नही मिली। तथ्य अंकित है, **वादी द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना गुडम्बा पर मु0अ0सं0-402/2024 धारा- 303(2) बीएनएस अज्ञात चोर के विरूद्ध पंजीकृत कर साक्ष्य संकलन व सीसीटीवी फुटेज चेक कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।**

जोन-दक्षिणी

थाना गोसाईगंज-

आज दिनांक 07.10.2024 को समय करीब बजे वादी नरेन्द्र बहादुर सिंह (मैनेजर) संकल्प फिलिंग स्टेशन सदरपुर करोरा गोसाईगंज, लखनऊ के द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया कि दिनांक 06.10.2024 को मध्य रात्रि लगभग 02.00 बजे संकल्प फिलिंग स्टेशन के ऑफिस के पीछे से कूलर हटाकर अज्ञात चोर द्वारा दराज़ से दो दिन की बिक्री की रखी नगदी चुरा ले गये। तथ्य अंकित है, **वादी द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना गोसाईगंज पर मु0अ0सं0-425/2024 धारा-305ए/331(4) बीएनएस अज्ञात चोर के विरूद्ध पंजीकृत कर साक्ष्य संकलन व सीसीटीवी फुटेज चेक कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना कृष्णानगर

आज दिनांक 07/10/24 को समय करीब 14.00 बजे थाना स्थानीय पर सूचना प्राप्त हुई कि जयप्रकाश नगर थाना कृष्णानगर लखनऊ में एक घर में आग लगी हुई है, इस सूचना पर उप-निरीक्षक श्री विवेक मिश्रा मय हमराह हे0का0 कप्तान सिंह के तत्काल मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की मदद से आग को बुझाया लिया गया और किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है।

परिजनों से जानकारी हुई कि श्री विरज कुमार पाल निवासी- जयप्रकाश नगर निकट जय माता नर्सिंग होम कबड्डी वाली गली कृष्णा नगर लखनऊ (उम्र 64) का पुत्र आदित्य कुमार पाल उर्फ अमन उम्र (28 साल) जो कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है एवं नशे का आदी भी है, उसके द्वारा अक्सर इस प्रकार की घटनाएं जैसे घर पर गाली गलौज आदि किया जाता है। आज आदित्य कुमार पाल उर्फ अमन उपरोक्त के द्वारा नशे की हालत में स्वयं को कमरे में बन्द कर कमरे में रखे सामान में आग लगा दी गई।

सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुँच कर फायर ब्रिगेड की मदद से कमरे का दरवाजा तोड़ कर युवक को सकुशल बचाते हुए आग को पूरी तरह से बुझाया लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, शेष कुशलता है।